

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 339/2025

अमनदीप सिंह बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम


1. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकूम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 केएसडी के खाता संख्या 23/19 जमीन सन्वत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 1.3315 है. भूमि का वादी अमनदीप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.8.2021 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया